

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2016/ज्येष्ठ 16, 1938 No. 391] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2016/JYAISTHA 16, 1938

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

(राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की कार्य परिषद्)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2016

सा.का.नि. 573(अ).—राजीव गांधी नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट अधिनियम की धारा 33 के खंड (ट) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए RGNIYD की शैक्षणिक परिषद् द्वारा RGNIYD के लिए निम्नलिखित अध्यादेश बनाए गए हैं, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(**1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विका संस्थान का प्रथम परिशिष्ट अध्यादेश, 2016 है ।
 - (2) यह उनके प्रभाव की तारीख 23.03.2015 से लागू माना जाएगा ।
- 2. प्रधान अध्यादेश में नए अध्यादेश का संयोजन

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अध्यादेश, 2016 में अध्याय ट के पश्चात निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा ।

अध्याय - VI

विभागाध्यक्षों के विषय से संबंधित अध्यादेश

- 1. स्कूल के प्रत्येक विभाग में एक अध्यक्ष होगा जो कि विभाग में अध्यापन और शोध के मानकों के संचालन और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और जो संकायाध्यक्ष धीनदेशक के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।
- 2. ऐसे विभाग जिसमें एक से अधिक प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष की नियुक्ति निदेशक द्वारा क्रमवार वरिष्ठता के आधार पर प्रोफेसरों में से तीन वर्ष की अविध के लिए की जाएगी;

बशर्ते कि किसी विभाग में केवल एक प्रोफेसर है, जिसकी अध्यक्षता का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो निदेशक को यह विकल्प होगा कि वह तीन वर्ष की अवधि के लिए वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसरों में से क्रमानुसार किसी एक एसोसिएट 2859 GI/2016

प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सके। एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल की समाप्ति के बाद, प्रोफेसर को फिर से विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और यह क्रम चलता रहेगा;

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे विभाग जिसमें कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, तो किसी सहायक प्रोफेसर को क्रमानुसार, वरिष्ठता के क्रम में निदेशक द्वारा तय की गई अवधि के लिए प्रमुख प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है;

- उपरोक्त किसी बात के शामिल होने के बावजूद, कोई अध्यापक अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर विभागाध्यक्ष बना नहीं रहेगा।
- 4. खण्ड 6.1 से 6.2 में उल्लिखित किसी बात के बावजूद, कार्यकारी परिषद् द्वारा निदेशक की सिफारिश पर किसी भी समय अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय में प्रवेश के बाद, लिखित आदेश द्वारा अक्षमता, दुराचार या सांविधिक उपबन्धों के उल्लंघन के आधारों पर उसे हटाया जा सकता है।

बशर्ते कि इस प्रकार का कोई आदेश कार्यकारी परिषद् द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष को उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के विरुद्ध कारण दिखाने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जांच के लंबित रहने की अवधि के दौरान, कार्यकारी परिषद् द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश देने से पहले, अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है।

- 5. विभागाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे:
 - विभागीय बोर्ड की बैठकों को बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना;
 - ii. विभाग में शिक्षण और शोध कार्य की व्यवस्था करना;
 - iii. विभाग द्वारा आवंटित शिक्षण कार्य के अनुरूप समय सारणी को तैयार करना;
 - iv. अध्यापकों के माध्यम से कक्षाओं में अनुशासन को बनाए रखना;
 - v. विभाग के उचित कार्यकरण के लिए यथावश्यक ड्यूटियों को अध्यापकों सौंपना और ध्या विभाग के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को काम सौंपना और उन पर नियंत्रण रखना; और
 - vi. संस्थान द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्यों को करना।

अध्याय - VII

उपाधिपत्र प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह विषय से संबंधित अध्यादेश

- 1. उपाधिपत्र प्रदान करने के प्रयोजनार्थ एक दीक्षान्त समारोह का, सामान्यतरू एक वर्ष में एक बार इस तरह की तिथि एवं स्थान पर, जैसा कि अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन के साथ निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाए, आयोजन किया जाएगा। श्उपाधिपत्रश्र पद में संस्थानद्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रमाणपत्र/डिप्लोमा सिम्मिलित होगा।
- 2. मानद उपाधिपत्र प्रदान के प्रयोजनार्थ एक विशेष दीक्षान्त समारोह का भी इस तरह के समय पर आयोजन किया जा सकता है जैसा कि कार्य परिषद द्वारा विनिश्चय किया जाए।
- 3. दीक्षान्त समारोह में संस्थान का निगमित निकाय सम्मिलित होगा।
- 4. उपाधिपत्र प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, निदेशक दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- 5. दीक्षान्त समारोह के लिए रजिस्ट्रार द्वारा चार सप्ताह से कम की सार्वजनिक सूचना नहीं दी जाएगी।
- रिजस्ट्रार, दीक्षान्त समारोह के प्रत्येक सदस्य के लिए वहां अपनाए जाने वाले पद्धति कार्यक्रम का निर्गमन करेगा।
- 7. उम्मीदवार, जो पिछले दीक्षान्त समारोह पश्चात अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, दीक्षान्त समारोह में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
- 8. इस तरह के उम्मीदवारों को, जो दीक्षान्त समारोह में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हैं, अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निदेशक द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उपाधिपत्र हेतु प्रवेश दिया जाएगा, और आवेदन एवं नियत दीक्षान्त समारोह शूल्क की अदायगी पर रजिस्ट्रार द्वारा उनके उपाधिपत्र प्रदान किए जाएंगे।
- 9. बशर्ते कि यदि एक वर्ष विशेष में दीक्षान्त समारोह का आयोजन नहीं किया जाता है तो निदेशक जहां कहीं आवश्यक समझे, औपचारिक दीक्षान्त समारोह की प्रतीक्षा किए बगैर, नियत दीक्षान्त समारोह शुल्क की अदायगी पर, उपाधिपत्र जारी करने हेतु सक्षम होगा।

- 10. परीक्षा विंग द्वारा अंतिम सत्रार्ध हेतु परीक्षा शुल्क के साथ नियत दीक्षान्त समारोह शुल्क सहित दीक्षान्त समारोह हेतु आवेदन का अनिवार्यतरू संग्रहण किया जाएगा। उन विद्यार्थियों को, जो नियत दीक्षान्त समारोह शुल्क के साथ दीक्षान्त समारोह आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं, प्रवेश टिकट जारी नहीं किया जाएगा।
- 11. उम्मीदवार, जो स्वयं उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं, दीक्षान्त समारोह की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले रिजस्ट्रार में लिखित सूचना देंगे।
- 12. दीक्षान्त समारोह में उम्मीदवार नियत वर्दी संहिता का अनुपालन करेंगे। इस तरह के किसी उम्मीदवार को दीक्षान्त समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो नियत शैक्षणिक वर्दी में नहीं है।
- 13. विभिन्न ग्रणमान्य व्यक्तियाओं और विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित डिजाइन के सभावस्त्र धारण किए जाएंगे।

अध्यक्ष	जामुनी रंग की हथकरघा/खादी शाल
निदेशक	बैंगनी रंग की हथकरघा/खादी शाल
मुख्य अतिथि	गहरे लाल रंग की हथकरघा/खादी शाल
अन्य सम्मानित अतिथि	मरून रंग की हथकरघा/खादी शाल
रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक	नीले रंग की हथकरघा/खादी शाल
विश्वविद्यालय प्राधिकरणों जैसे कार्य परिषद, वित्त समिति, शिक्षा परिषद आदि के सदस्य	पीले रंग की हथकरघा/खादी शाल
विद्यार्थी	हरे रंग की हथकरघा/खादी शाल

14. सभावस्त्र के बाद, शैक्षणिक शोभायात्रा के सभी सदस्यों का मुख्य अतिथि के साथ सामूहिक फोटोग्राफ लिया जाएगा। शैक्षणिक शोभायात्रा का क्रम इस प्रकार होगा:

रजिस्ट्रार

परीक्षा नियंत्रक

स्कूलों के संकाया/यक्ष/विभागा/यक्ष

विभिन्न सम्मानित अतिथि (नयाचार के आरोही क्रम में)

मुख्य अतिथि

निदेशक

- 15. शैक्षणिक शोभायात्रा सामूहिक फोटोग्राफ के स्थान से प्रारंभ होगी। शोभायात्रा के केवल वही सदस्य जिन्हें बैठने की अनुमोदित योजना के अनुसार मंच पर बैठना है, मंच पर जाएंगे; शेष सभागृह की प्रथम पंक्ति में अपना बैठने का स्थान ग्रहण करेंगे।
- 16. जब शोभायात्रा सभागृह में प्रवेश करेगी, उम्मीदवार और आमंत्री खड़े हो जाएंगे और मंच पर सभी के स्थान ग्रहण किए जाने तक खड़े रहेंगे।
- 17. विश्वविद्यालय गीत/राष्ट्रगान पश्चात, निदेशक निम्निलखित बोलकर दीक्षान्त समारोह प्रारंभ होने की घोषणा करेगा: "राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बुदूर का यह दीक्षान्त समारोह उन उम्मीदवारों को उपाधिपत्र प्रदान करने हेतु आयोजित किया गया है जिन्हें इसके योग्य प्रमाणित किया गया है।"
- 18. फिर अध्यक्ष बोलेगा:

"मैं स्वागत भाषण देने और दीक्षान्त समारोह से संबंधित समयाविध के दौरान संस्थान की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निदेशक को आमंत्रित करता हूँ।"

निदेशक एक संक्षिप्त स्वागत भाषण देगा और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

19. फिर अध्यक्ष बोलेगा:

"अब उम्मीदवार प्रस्तुत होंगे।"

निदेशक सभी विभागों के लिए सर्वनिष्ठ प्रस्तुतकर्ता होगा।

(क) निदेशक बोलेगा:

"अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने उन उम्मीदवारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्हें युवा सशक्तीकरण, आजीविका परामर्श, लैंगिक अध्ययन, स्थानीय शासन, जीवन कौशल शिक्षा, विकास रीति पाठ्यक्रमों (और ऐसे अन्य स्कूल जो समय–समय पर आरंभ किए जाएं) में स्नातकोत्तर उपाधिपत्र वैयक्तिक रूप से प्रदान किया जाना है।"

इनमें से प्रत्येक पाठ्यक्रम के उम्मीदवार निदेशक द्वारा उनके पाठ्यक्रम का नाम बोले जाने पर खडे हो जाएंगे और खडे रहेंगे।

अध्यक्ष बोलेगा:

"मैं इन उम्मीदवारों को वैयक्तिक रूप से उपाधिपत्र प्रदान करने की अनुमति देता हूँ।"

अब स्नातक अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।

(ख) निदेशक बोलेगा:

"अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने उन उम्मीदवारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्हें युवा सशक्तीकरण, आजीविका परामर्श, लैंगिक अध्ययन, स्थानीय शासन, जीवन कौशल शिक्षा, विकास रीति पाठ्यक्रमों *(और ऐसे अन्य स्कूल जो समय–समय पर आरंभ किए जाएं)* में स्नातकोत्तर उपाधिपत्र उनकी अनुपस्थिति में प्रदान किए जाने हैं।"

अध्यक्ष बोलेगाः

"मैं इन उम्मीदवारों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधिपत्र प्रदान करने की अनुमति देता हूँ।"

अध्यक्ष रनातक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा।

- 20. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, निदेशक दीक्षान्त समारोह आरंभ होने की घोषणा करेगा, और उम्मीदवारों को *वैयक्तिक रूप से* और उनकी अनुपस्थिति में उपाधिपत्र प्रदान किए जाने की अनुमति देगा, और स्नातक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा जबकि रजिस्ट्रार सर्वनिष्ठ प्रस्तुतकर्ता होगा।
- 21. फिर मुख्य अतिथि दीक्षान्त समारोह का भाषण देंगे।
- 22. राष्ट्रगान पश्चात, शैक्षणिक शोभायात्रा उसके उल्टे क्रम में, जिस क्रम में उसने दीक्षान्त समारोह सभागृह में प्रवेश किया था. सभावस्त्र कक्ष में वापस लौटेगी।
- 23. मानद उपाधिपत्र केवल एक दीक्षान्त समारोह में प्रदान किए जाएंगे और वैयक्तिक रूप से और उनकी अनुपस्थिति में ग्रहण किए जा सकते हैं।
- 24. दीक्षान्त समारोह में उन व्यक्तियों की प्रस्तुति, जिन्हें मानद उपाधिपत्र प्रदान किए जाने हैं, निदेशक द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष उपाधिपत्र प्रदान करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, रजिस्ट्रार प्रस्तुतकर्ता होगा और निदेशक मानद उपाधिपत्र प्रदान करेगा।"

25. डिग्रियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों आदि को वापस लिया जाना

कार्यकारी परिषद् द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई किसी डिग्री या शैक्षणिक सम्मान को, या प्रदत प्रमाणपत्र और डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस लिया जा सकता है।

बशर्ते कि इस प्रकार के किसी संकल्प को तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को लिखित में इस आशय का नोटिस नहीं दिया जाता कि वह नोटिस में विहित की गई समयावधि में यह कारण बताए कि इस प्रकार के संकल्प को क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा संकल्प तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी किन्ही आपित्तयों, उनके समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत किसी साक्ष्य पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता है।

अध्याय - VIII

अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें तथा आचार संहिता

1. अध्यापकों की परिभाषाः

- क) संस्थान के अध्यापकों का अर्थ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफसर्स, सहायक प्रोफेसर तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें संस्थान या संस्थान द्वारा संचालित अन्य संस्थान में अनुदेश देने या शोध करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है और जिन्हें अध्यादेशों में अध्यापक पदनामित किया गया है। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर निर्धारित अर्हताओं को धारण करने वाले होने चाहिये।
- ख) संस्थान का कोई अध्यापक संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होगा तथा वह अपना पूरा समय संस्थान में लगाएगा तथा इसमें मानद, अतिथि, अंशकालिक और तदर्थ अध्यापक शामिल नहीं होंगे।
- ग) संस्थान के किसी भी अध्यापक द्वारा कार्यकारी परिषद् की अनुमित के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार या कारोबार या किसी निजी रूप से पढ़ाने के कार्य या अन्य कार्य में भागीदारी नहीं की जाएगी जिसके लिए पारिश्रमिक या मानदेय दिया जाता है।
- i) यह नोट किया जाना चाहिए कि अध्यापकों को विश्वविद्यालयों या शिक्षा निकायों या लोक सेवा आयोगों या अन्य साक्षरता कार्य में परीक्षा कार्य करने या रेडियो/टेलीविजन बातचीत या विस्तार लेक्चर्स, या किसी अन्य शैक्षणिक कार्य को करने के आज्ञा निदेशक की अनुमति से दी जा सकती है।
- ii) यह नोट किया जाना चाहिए कि अध्यापकों को संस्थान की पूर्व अनुमित से यूजीसी के दिशा निर्देशों के लिए अनुसार शोध, प्रकाशन, परामर्श और प्रबंधन/ कार्यकारी विकास कार्यक्रमों में सिक्रय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ड्यूटियों की प्रकृति:

- क) संविदा घंटों, परिसर में उपस्थिति और शिक्षण, शोध, परीक्षा, मूल्यांकन, पाठ्यचर्या विकास, स्व–अध्ययन तथा लेक्चर्स के लिए तैयारी के संदर्भ में अध्यापकों के कार्य के घंटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मानकों के अनुसार होंगे।
- ख) शिक्षण व्यवस्था, सौंपे गए अध्ययन पाठ्यक्रमों का शिक्षण और प्रभावी शिक्षण से जुड़े अन्य कार्य जैसे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का विकास और संशोधन, प्रयोगशाला और फील्ड कार्य, ट्यूटोरियल्स, परीक्षा से संबंधित कार्य और छात्रों का मूल्यांकन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का काम, छात्रों का सामान्य कल्याण आदि कार्य अध्यापकों की प्राथमिक ड्यूटियां होंगी।
- ग) सौंपे गए अध्ययन पाठ्यक्रमों के शिक्षण के अलावा, अध्यापकों से शोध, प्रकाशनों, पेटेंट विकास, शैक्षणिक संस्कृति के विकास आदि में अपनी सर्वश्रेष्ठ बोद्धिक परम्परा के अनुसार सच्ची भावना से सक्रिय रूप से भागीदारी की आशा की जाती है।
- घ) अध्यापकों के लिए विभाग, बोर्ड ऑफ स्टडीज, स्कूल बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद् और संस्थान के निर्णयों को मानना बाध्यकारी होगा तथा वे विभागाध्यक्षों और संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्षों के सामान्य निर्देशन और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे।
- ङ) हर अध्यापक द्वारा संस्थान की ऐसी गतिविधियोंमें भाग लिया जाएगा और संस्तान में ऐसी ड्यूटियों को निष्पादित किया जाएगा जिसकी उससे समय–समय पर अधिनियमित किए गए और लागू अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों की मूल भावना के अनुसार आशा की जाती है।
- च) हर अध्यापक को संस्थान की मौजूदा जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार संस्थान में या किसी खास स्कूल/विभाग/केन्द्र में अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। संस्थान द्वारा बदलती जरूरतों, अपेक्षाओं और परिस्थितियों की अपेक्षा के अनुसार अपने स्कूलों/विभागों/केन्द्रों को स्थापित, उन्मूलन, अभिचिंहित और नया नामकरण करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है और संस्थान के सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी समय अध्यापक की तैनाती/ तैनाती के स्थान को तदनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

3. परिवीक्षाः

आमतौर पर अध्यापकों को बारह महीनों की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन किसी भी स्थिति में यह कुल अवधि 24 महीनों से अधिक नहीं होगी।

4. पुष्टि:

- क) परिवीक्षाधीन अध्यापक की पुष्टि को परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के चालीस दिनों के अंदर कार्यकारी परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।
- ख) कार्यकारी परिषद् के पास अध्यापक की पुष्टि करने या पुष्टि न करने की शक्तियां होंगी, और कुल मिलाकर उसके द्वारा परिवीक्षा अविध को अधिकतम चौबीस महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि अध्यापक की पुष्टि न करने के निर्णय के लिए कार्यकारी परिषद् के दो तिहाई उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बह्मत अपेक्षित है।
- ग) यदि कार्यकारी परिषद् द्वारा किसी अध्यापक की पुष्टि न करने का निर्णय किया जाता है, फिर चाहे ऐसा उसकी परिवीक्षा अवधि के चौबीस महीनों से पहले ऐसा किया जाए अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि से पहले ऐसा किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, अध्यापक को इस आशय की जानकारी लिखित में उस अवधि की समाप्ति से 30 दिन के अंदर दी जाएगी।

वेतन वृद्धिः

हर अध्यापक अपने वेतनमान में नियमों के अनुसार तब तक वेतनवृद्धि का हकदार होगा जब तक कि उस वेतनवृद्धि को कार्यकारी परिषद् के संकल्प द्वारा रोका या आस्थगित या विलंबित नहीं किया जाता है।

यह नोट किया जाना चाहिए कि जिस अध्यापक की वेतनवृद्धि को रोका/ आस्थिगित/ विलंबित किया जाना प्रस्तावित है, उसे अपना लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

6. कैरियर प्रगति के माध्यम से पदोन्नतिः

संस्थान में सहायक प्रोफेसर्स /एसोसिएट प्रोफेसर्स/ प्रोफेसर्स कैरियर प्रगति के माध्यम से पदोन्नित का लागू तथा समय समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित मानकों /विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

पेशेवर आचार संहिताः

- क) हर अध्यापक समय–समय पर संस्थान द्वारा तैयार अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों, नियम और विनियमों तथा आचार संहिता द्वारा बाध्य होगा। यह नोट किया जाना चाहिए कि अध्यापक की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा के नियमों और शर्तों में पदनाम, वेतनमान, वेतनवृद्धि, सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु, परिवीक्षा, पुष्टि, छुट्टी, अवकाश वेतन और सेवा से हटाने के संबंध में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ख) समय–समय पर संस्थान द्वारा बनाई गई आचार संहिता का हर अध्यापक द्वारा अनुपालन किया जाएगा। सामान्य नियम के तौर पर, निम्नलिखित त्रुटियों को संस्थान के अध्यापक की ओर से किया गया दुराचार माना जाएगा:–
 - i) अध्ययन के पाठ्यक्रमों को पढ़ाने शोध कार्य का पर्यवेक्षण से इंकार, शब्द या कार्रवाईयां, और विभाग, बोर्ड ऑफ स्टडीज, स्कूल के संकाया/यक्ष, स्कूल बोर्ड और निदेशक और/या अन्य प्रशासनिक और उसे सौंपी गई पाठ्यनुवर्ती गतिविधियां से इंकार करना।
 - ii) समय—समय पर संस्थान द्वारा परिभाषित या उसे सौंपे गए उत्तरदायित्वों के निष्पादन या निर्वहन में त्रुटियां या लापरवाही या असावधानी।
 - iii) संस्थान के प्राधिकारियों, शैक्षणिक निकायों और /या संस्थात के अधिकारियों के निर्णयों को मानने से इंकार करना।
 - iv) व्यक्तिगत और पेशेवर नैतिकता के उच्चतम मानकों की पालना न करना और/या साहित्यिक चोरी के कानूनी अर्थ, निर्वचन और अभिव्यक्ति के दायरे किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी में शामिल होना।
- ग) ऐसी गतिविधियों में सीधे तौर पर और निहित रूप से शामिल होना जिनके परिणाम निम्न हो सकते हैं:

- i) परिसर में समुदाय जीवन में शांति और एकता को भंग करना जिसमें छात्रों, कर्मचारियों, और बाहरी लोगों को छात्रों, सहयोगियों, प्रशासन और परिसर के विरूद्ध भड़काने में भागीदारी और उसको बढ़ावा देना शामिल है।
- ii) नस्ली भावनाओं, नफरत, परिसर में हिंसा फैलाना जिसमें जाति, नस्ल, रंग, धर्म, या स्त्री—पुरूष को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करना शामिल है।
- iii) किसी गतिविधि, कार्रवाई या कृत्य में शामिल होना जिससे संस्थान के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अथवा उनका अतिक्रमण होता है।
- घ) इन अध्यादेशों में कुछ भी ऐसा शामिल नहीं है जिससे सार्वजनिक मंचो, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और /या उसके भाषण या लेखन में सिद्धांत संबंधी विषयों पर अपनी राय या मतभेद को अभिव्यक्त करने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप करता है।

8. त्यागपत्र:

- क) किसी स्थाई अध्यापक द्वारा अपने संविदे को संस्थान को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर या उसके बदले में संस्थान को तीन महीनों के वेतन का भुगतान करके, समाप्त किया जा सकता है।
- ख) परिवीक्षाधीन, संविदा, अस्थाई तथा तदर्श अध्यापकों के मामले में नोटिस की अवधि या उसके स्थान पर वेतन एक महीने का होगा।

यह नोट किया जाना चाहिए कि कार्यकारी परिषद् द्वारा अपनी स्वेच्छा से नोटिस की अपेक्षा को हटाया जा सकता है।

9. लिखित संविदा:

संस्थान के हर अध्यापक को अध्यादेश के अनुलग्नक प्य में विहित किए गए और समय–समय पर संशोधित किए गए प्रपत्र पर संस्थान के साथ एक लिखित संविदा करना होगा।

10. पुनः नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन को तय किया जानाः

समय-समय पर भारत सरकार के नियमों के अनुसार।

11. शिक्षण कर्मचारियों की वरिष्ठता:

- क) यह रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा कि वह कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी जिन पर इस अध्यादेश के उपबन्ध लागू होते हैं, एक पूर्ण और अद्यतन वरिष्ठता सूची को इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार तैयार किया जाए।
- ख) अध्यापकों की वरिष्ठता को यूजीसी मानकों के अनुसार तय किया जाएगा। लेकिन अध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का अवलोकन किया जाएगा:
 - i) प्रत्येक ग्रेड में वरिष्ठता का निर्धारण संस्थान में उस व्यक्ति के ग्रेड नियुक्ति की तारीख से निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार किया जाएगा।
 - ii) यदि किसी अध्यापक का संस्थान में चयन विधिवत रूप से नियुक्त चयन सिमति द्वारा संस्थान के दूसरे विभाग/केन्द्र/ स्कूल के लिए समान ग्रेड में पद के लिए किया जाता है, तो संस्थान में उसकी विरष्ठता की गणना संस्थान में समान ग्रेड में पद पर नियुक्ति की मूल तारीख से की जाएगी।
 - iii) िकसी ऐसी स्थिति में जहां पर दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की सिफारिश समान चयन सिमित द्वारा एक ही तारीख को की जाती है, तो चयन सिमित को चुने गए उम्मीदवारों के गुणों के संबंध में उचित विचार करते हुए उनकी विरिष्ठता को निर्धारित करने की शक्तियां होंगी तथा उसका उपयोग सेवा में विरिष्ठता के निर्धारण के उद्देश्य से किया जाएगा।
 - iv) कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत नियुक्त/पदोन्नत अध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण इस संबंध में यूजीसी दिशा निर्देशों/विनियमों/मानकों के अनुरूप किया जाएगा। यदि किसी अध्यापक को कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत अगले

उच्चतर ग्रेड /पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो उच्चतर ग्रेड/पद पर उसकी वरिष्ठता की गणना अगले ग्रेड/पद पर पदोन्नित के लिए उसकी पात्रता की तारीख से की जाएगी। लेकिन, यदि उम्मीदवार को पदोन्नत किए जाने से मना कर दिया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता की गणना अगली पात्रता तारीख से की जाएगी।

- v) यदि दो या अधिक व्यक्तियों की किसी खास ग्रेड या पद में समान सेवावधि है या दूसरे व्यक्ति(यों) की सापेक्षिक वरिष्ठता के संबंध में अन्यथा संदेह या शक है, तो रजिस्ट्रार द्वारा अपनी स्वेच्छा से या दूसरे व्यक्ति के अनुरोध पर इस विषय को कार्यकारी परिषद को दिया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
- vi) स्कूल के संकाया/यक्षों, विभागा/यक्षों के बीच में वरिष्ठता का निर्धारण ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख से किया जाएगा।

12. अध्यापकों का पुन: नियोजन:

कार्यकारी परिषद्, संस्थान के हित में, निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से अधिवर्षिता को प्राप्त कर चुके संस्थान के प्रतिष्ठित अध्यापक का पुन: नियोजन, जिसके द्वारा ज्ञान और शिक्षण के हित में अभूतपूर्व योगदान किया गया है, कर सकती है:

- क) संस्थान का अध्यापक जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत हो रहा है, वह अपनी सेवा निवृति की आयु से कम से कम छह महीने पहले उचित माध्यम से निदेशक को अपने पुन: नियोजन की इच्छा की सूचना देगा।
- ख) विभाग/संस्थान के अध्यक्ष या संबंधित संकायाध्यक्ष द्वारा उसे अपनी विशिष्ट सिफारिश के साथ उसे निदेशक को अग्रेषित करेंगे।
- ग) यदि विभागाध्यक्ष/ संस्थान के अध्यक्ष द्वारा पुन: नियोजन का अनुरोध किया जाता है, तो स्कूल के संकायाध्यक्ष द्वारा अपनी विशिष्ट टिप्पणियों के साथ उसके आवेदन को निदेशक के पास अग्रेषित किया जाएगा।
- घ) यदि स्कूल के संकायाध्यक्ष द्वारा ही पुन:नियोजन का आवेदन किया जा रहा है, तो वह अपने आवेदन को सीधे निदेशक को प्रस्तुत करेगा।
- ङ) पुन: नियोजन के आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए:
 - i) सेवा निवृत होने वाले अध्यापक का पूर्ण जीवन—वृत जिसमें विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त की गई शैक्षणिक और अन्य उपलब्धियों का ब्यौरा शामिल किया जाएगा। जीवन—वृत में शिक्षण और शोध अनुभव, प्रकाशन, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, संगोष्टियों आदि में भागीदारी /प्रस्तुतीकरण का ब्यौरा शामिल होगा।
 - ii) मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केन्द्र/ अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाणपत्र (संस्थान इसे अपने चिकित्सा अधिकारी से सत्यापित कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है)।
- च) पुन: नियोजन के आधार पर काम करने के इच्छुक संस्थान के अध्यापक से आवेदन/ प्रस्ताव तथा पूर्ण जीवन—वृत्त की प्राप्ति पर, निदेशक द्वारा विभागाध्यक्ष या आवेदक अध्यापक की फील्ड/विषय के किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ परामर्श के आधार पर ऐसे अध्यापक के पुन: नियोजन के संबंध में अपनी राय या विचार कायम करेगा तथा उसे विचारार्थ कार्यकारी परिषद् के सम्मुख एक प्रस्ताव के रूप में पेश करेगा।
- छ) किसी भी अध्यापक द्वारा अधिकार के विषय के रूप में पुन:नियोजन का दावा नहीं किया जा सकता है।
- ज) संस्थान के अध्यापक का पुन: नियोजन यूजीसी द्वारा विहित समग्र आयु सीमा के अधीन होगा, जिसके बाद विस्तार की कोई संभावना नहीं होगी।
- झ) पुन: नियोजन को नए सिरे से अस्थाई नियुक्ति माना जाएगा।
- कार्यकारी परिषद् अपनी स्वेच्छा से लिखित में एक महीने का नोटिस देकर संस्थान के पुन:नियोजित अध्यापक की सेवाओं को समाप्त कर सकती है।

- ट) संस्थान का पुन:नियोजित अध्यापक विभागाध्यक्ष या स्कूल के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा और न ही वह संस्थान के प्राधिकरण का सदस्य हो सकता है और उसे किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं दिया जाएगा।
- ठ) संस्थान के अध्यापक को देय वेतन और अन्य भत्ते समय–समय पर संस्थान द्वारा विहित नियमों के अनुसार होंगे।

13 प्रोफेसर एमेरिटस:

- क) कार्यकारी परिषद् द्वारा संस्थान के प्रोफेसर को "प्रोफेसर एमेरिटस" का पदनाम दिया जा सकता है जो कि इस संस्थान या किसी अन्य संस्थान से कम से कम पंद्रह वर्ष की सेवा के उपरांत सेवानिवृत हुआ है, जिसमें वह कम से कम सात वर्ष के लिए इस संस्थान में प्रोफेसर होना चाहिए।
- ख) निदेशक भी शैक्षणिक परिषद् को "प्रोफेसर एमेरिटस" का सम्मान देने की सिफारिश कर सकता है और शैक्षणिक परिषद् की सिफारिश पर शैक्षणिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् ऐसे शीर्षक को प्रदान कर सकती है (नोट: — "प्रोफेसर एमेरिटस" की नियुक्ति का प्रस्ताव सभी स्तरों पर एकमत से लिया जाना चाहिए)।
- ग) "प्रोफेसर एमेरिटस" का सम्मान केवल ऐसे विद्वान व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने अपने विषय में अपने प्रकाशित शोध कार्य और शिक्षण से अभूतपूर्व योगदान दिया है।
- घ) "प्रोफेसर एमेरिटस" द्वारा जिस विभाग/केन्द्र के साथ वह संबद्ध है, उसके फ्रेमवर्क के भीतर अपने शैक्षणिक कार्य पर आगे कार्य किया जा सकता है और वह किसी विशेष सुविधा जैसे व्यक्तिगत कार्यालय या स्वतंत्र प्रयोगशाला का हकदार नहीं होगा और न ही वह विभाग या संस्थान की किसी समिति का सदस्य नहीं होगा।
- ङ) एमेरिटस प्रोफेसरशिप के साथ आवासीय व्यवस्था प्रदान करने के लिए संस्थान की कोई वित्तीय प्रतिबद्धता या उत्तरदायित्व नहीं जुड़ा होगा।
- च) "प्रोफेसर एमेरिटस" का शीर्षक पूरे जीवनकाल के लिए होगा।

14 मानद प्रोफेसरः

- क) कार्यकारी परिषद् द्वारा किसी उत्कृष्ट विद्धान या प्रख्यात व्यक्ति, जिसकी संस्थान के साथ सम्बद्धता से संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक होगी, उसे दो वर्ष के लिए मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन इस अविध को केवल एक वर्ष की अविध के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
- ख) संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग में अपने सहयोगियों के साथ परामर्श करके, निदेशक को किसी व्यक्ति को मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जा सकता है और निदेशक द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने के बाद शैक्षणिक परिषद् को नियुक्ति की सिफारिश की जा सकती है और शैक्षणिक परिषद् की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्ति की जाएगी।
- ग) किसी भी व्यक्ति को मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या वह इस पद पर नहीं बना रह सकता है यदि वह यूजीसी द्वारा विहित अधिवर्षिता की अधिकतम आयु को प्राप्त कर लेता है।
- घ) किसी मानद प्रोफेसर से विभाग की उन सामान्य गतिविधियों में संलग्नता अपेक्षित होगी जिसके साथ उसे सम्बद्ध किया गया है, लेकिन वह संस्थान की किसी समिति का सदस्य नहीं होगा, जिसमें संबंधित विभाग का बोर्ड ऑफ स्टीडीज का अपवाद होगा।
- ङ) मानद प्रोफेसरशिप के साथ आवासीय व्यवस्था प्रदान करने के लिए संस्थान की कोई वित्तीय प्रतिबद्धता या उत्तरदायित्व नहीं जुड़ा होगा।

15 अतिथि प्रोफेसर:

क) विशिष्ट व्यक्ति, जिन्हें संस्थान द्वारा कवर किए गए अध्ययन के एक या किसी दूसरे विषय में विशेष सक्षमता हासिल है, उसे संस्थान में अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के लिए कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन द्वारा निदेशक द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है। इन अतिथि प्रोफेसरों को भारत या विदेशों से आमंत्रित किया जा सकता है।

- ख) ऐसे अतिथि प्रोफेसर, प्रत्येक मामले में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार, अध्ययन के कोर्स को शिक्षित करेंगे, लेक्चर देंगे या सेमिनारों का आयोजन करेंगे या उसके लिए निर्धारित शोध अध्येताओं का पर्यवेक्षण करेंगे या ऐसे अन्य तरीकों से भागीदारी करेंगे जिन्हें उपयुक्त माना जाता है।
- ग) अतिथि प्रोफेसरों को वह वेतन, मानदेय, यात्रा व्यय, आतिथ्य आदि का भुगतान किया जा सकता है जिसका निर्धारण निदेशक द्वारा किया जाता है।
- घ) किसी अतिथि प्रोफेसर से विभाग की उन सामान्य गतिविधियों में संलग्नता अपेक्षित होगी जिसके साथ उसे सम्बद्ध किया गया है, लेकिन वह संस्थान की किसी समिति का सदस्य नहीं होगा, जिसमें संबंधित विभाग का बोर्ड ऑफ स्टीडीज का अपवाद होगा।
- ङ) जहां तक संभव हो सके, संस्थान द्वारा इस प्रकार के अतिथि प्रोफेसरों के आवास की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाएगी ताकि उनके और अध्यापकों तथा संस्थान के छात्रों के साथ उपयोगी संपर्क की स्थापना की जा सके।
- च) उपरोक्त के अध्यधीन, निदेशक द्वारा किसी अतिथि प्रोफेसर के मामले में अपनी स्वेच्छा से और इस प्रकार के अन्य नियमों और शर्तों के अधीन, जिसमें नियुक्ति की अवधि शामिल होगी जिसे आवश्यक समझा जाता है, के लिए नियुक्ति की जाएगी।

16 सहायक प्रोफेसर:

- क) देश के भीतर और /या विदेशों में विशिष्ट व्यक्ति, जिन्हें संस्थान द्वारा कवर किए गए अध्ययन के एक या किसी दूसरे विषय में विशेष सक्षमता हासिल है, उसे संस्थान में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के लिए कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन द्वारा निदेशक द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।
- ख) ऐसे सहायक प्रोफेसर, प्रत्येक मामले में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार, अध्ययन के कोर्स को शिक्षित करेंगे, लेक्चर देंगे या सेमिनारों का आयोजन करेंगे या उसके लिए निर्धारित शोध अध्येताओं का पर्यवेक्षण करेंगे या ऐसे अन्य तरीकों से भागीदारी करेंगे जिन्हें उपयुक्त माना जाता है।
- ग) सहायक प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित व्यक्तियों को वह मानदेय, यात्रा व्यय, आतिथ्य आदि का भुगतान किया जा सकता है जिसका निर्धारण प्रत्येक मामले में निदेशक द्वारा किया जाता है।
- घ) किसी सहायक प्रोफेसर से विभाग की उन सामान्य गतिविधियों में संलग्नता अपेक्षित होगी जिसके साथ उसे सम्बद्ध किया गया है, लेकिन वह संस्थान की किसी समिति का सदस्य नहीं होगा, जिसमें संबंधित विभाग का बोर्ड ऑफ स्टीडीज का अपवाद होगा।

अनुलग्नक—I

(संदर्भ अध्याय VIII का पैरा 9)

शैक्षणिक कर्मचारियों के अध्यापकों और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले लिखित संविदे का प्रपत्र

नियुक्ति के लिए लिखित संविदा

संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारियों में सभी अध्यापकों और सदस्यों को लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसके प्रपन्न को एततद्वारा विहित किया गया है और इस अध्यादेश में संलग्न किया गया है। 10/— रूपये के गैर—न्यायिक स्टांप पेपर पर टंकित किया जाए और एक मूल प्रति और उसकी दो प्रतियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सेवा संविदा

करार की शर्तें जिसे वर्ष दो हजार	को भारतीय गणराज्य में	(प्रथम पक्ष)
पुत्र/पुत्री/पत्नी, आयुवर्ष, निवासी	के बीच (यहां क बाद " प्रथम हिस्से के	पक्ष के रूप में
उल्लिखित) और राजीव गांधी नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट,	दूसरा पक्ष के बीच में निष्पादित किया गया	I
जबिक संस्थान द्वारा प्रथम हिस्से के पक्ष को स्कूल ऑफ	में	(पदनाम) के
रूप में नियुक्त किया है और प्रथम हिस्से के पक्ष ने यहां के बाद उल्लि	ाखित नियम और शर्तों के आधार पर संस्था	न में सेवा करने
पर सहमति त्यक्त की हैय अब ये उपस्थित साक्षी और यहां उपस्थित पर	थ कमश्रा निम्नलिखित के लिए सहमति ह्यान	त करते हैं [.]

1. प्रथम हिस्से के पक्ष द्वारा संस्थान और उन प्राधिकारियों के आदेशों का पालन किया जाएगा जिनके अंतर्गत उस समय–समय पर संस्थान द्वारा कार्य करने के लिए कहा जाता है और वह अपनी नियुक्ति की तारीख से शुरू होने वाली तथा यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार सेवा में बना रहेगा।
2. प्रथम हिस्से के पक्ष द्वारा अपने पूरा समय और ध्यान कार्यकुशलता से और अनवरत रूप से अपने कर्त्तव्यों पर लगाया जाएगा और उसके द्वारा हर समय नियमों का पालन किया जाएगा जिनमें उसे संस्थान की जिस शाखा के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया है, उसके लिए वर्तमान समय के लिए विहित किए गए संस्थान के सेवक आचरण नियमों का पालन करना शामिल है और उसे समय—समय पर सौंपे जाने वाले कर्त्तव्यों को वहन करना होगा।
3. प्रथम हिस्से का पक्ष अध्यापक/ अधिकारी रैंक का होगा तथा उसकी स्थिति स्कूल ऑफ (स्कूल) में (पदनाम) की होगी तथा उसे मौजूदा समय में (विभाग/केन्द्र/कार्यालय) में तैनात किया जाता है।
4. प्रथम हिस्से का पक्ष यह समझता और सहमत है कि खास स्कूल/ विभाग/ केन्द्र में उसकी मौजूदा तैनाती वर्तमान जरूरतों और संस्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप है तथा संस्थान बदलती जरूरतों, अपेक्षाओं और परिस्थितियों के अनुसार अपने स्कूलों, विभागों और केन्द्रों की स्थापना कर सकता है, उन्हें हटा सकता है, विलय कर सकता है, पुनर्गठित कर सकता है और उनका पुनरू नामकरण कर सकता है तथा प्रथम हिस्से के पक्ष द्वारा संस्थान के किसी स्कूल /विभाग /केन्द्र में उसकी तैनाती को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाएगा और उस पर कोई आपिर नहीं उठाई जाएगी।
5. प्रथम हिस्से के पक्ष को, इनके लागू होने की तारीख से (ग्रेड वेतन सहित मूल वेतन) जो कि वेतनमान में आता है, प्रदान किया जाएगा। वह संस्थान/ भारत सरकार के लागू नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य सामान्य भत्तों का भी हकदार होगा।
6. प्रथम हिस्से के पक्ष द्वारा अपने समझौते की अवधि के दौरान उस पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार छुट्टियां अर्जित की जाएंगी।
7. यदि प्रथम हिस्से के पक्ष को संस्थान की सेवा के हित में यात्रा करनी पड़ती है, तो वह संस्थान में उसके रैंक के समकक्ष अधिकारी पर लागू होने वाले वेतन मान के अनुरूप यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा।
8. अधिवर्षिता की आयु की उक्त अवधि के दौरान उसके समझौते को दोनो पक्षों में से किसी के द्वारा भी दूसरे पक्ष को लिखित में तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यह नोट किया जाना चाहिए कि नोटिस के बदले में दोनो में से किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उस अवधि के लिए वेतन के बराबर की राशि का भुगतान किया जाएगा जो अवधि तीन महीनों से कम होती है।
9. प्रथम हिस्से का पक्ष लागू नियमों के अनुसार नई पेंशन योजना के लाभ का पात्र होगा।
10. किसी ऐसे विषय जिसके बारे में इस समझौते मे कोई उपबन्ध नहीं किए गए हैं, की स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 ख और 313 के अंतर्गत बनाए गए नियम और या उन नियमों का बनाया जाना माना जाना या संस्थान द्वारा संस्थान की सेवा में कार्यरत अध्यापक /अधिकारी की श्रेणी में रखे जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में बनाए गए किसी अधिनियम या नियम के उपबन्ध इस समझौते के अंतर्गत उस स्तर तक प्रथम हिस्से के पक्ष पर लागू होंगे जो उसकी सेवा पर लागू होते हैं और उनकी अनुप्रयोज्यता से संबंधित संस्थान का नियम अंतिम होगा।
साक्षी की उपस्थिति में, प्रथम हिस्से के पक्ष और कार्यकारी परिषद् के लिए और उसकी ओर से तथा उसके आदेश और दिशा निर्देश के अंतर्गत काम करते हुए रजिस्ट्रार द्वारा वर्ष में भारत के गणराज्य में अपने अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं।
प्रथम हिस्से के पक्ष द्वारा हस्ताक्षरितः निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में:
साक्षी: 1)
साक्षी: 2)

अध्याय - IX

प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया/मानक

1 नियुक्ति का तरीका:

- क) सबसे प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए संस्थान द्वारा सतत विज्ञापन देने की नीति को अपनाया जाएगा जिसमें योग्य उम्मीदवार भिन्न भिन्न संकाय पदों के लिए पूरे वर्ष अपने आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे, और स्क्रीनिंग समिति की बैठक से कम से कम 30 दिन पहले प्राप्त सभी आवेदनों पर साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए विचार किया जाएगा।
- ख) सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए, संस्थान द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में रिक्तियों के विज्ञापन दिए जाएंगे जिसमें आवेदन के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को 30 दिन का समय प्रदान किया जाएगा।
- ग) संस्थान द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या को अस्थाई माना जाएगा और संस्थान को चयन के समय पदों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार होगा और तदनुसार नियुक्तियां की जाएंगी।
- घ) विभिन्न पदों के लिए विहित आवेदन प्रपत्र, जैसा कि समय—समय पर संस्थान की कार्यकारी परिषद् द्वारा विहित किया जाता है, अनुरोध किए जाने पर नाममात्र के शुल्क पर उपलब्ध होंगे। लेकिन, विहित आवेदन प्रपत्रों को संस्थान की वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।
- ङ) जैसा कि समय–समय पर संस्थान की कार्यकारी परिषद् द्वारा विहित किया जाता है, आवेदकों को विज्ञापन अधिसूचना में विहित किए रूप में नाममात्र के आवेदन प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा। लेकिन, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी से संबंधित आवेदकों को आवेदन शुल्क के भृगतान से छूट प्रदान की जाएगी।
- च) पहले से ही सेवारत /नियोजित उम्मीदवारों को आवेदन उचित माध्यम से करने होंगे। हालांकि वे अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन, विधिवत रूप से अग्रेषित आवेदन जिसके साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तथा नियोक्ता का सत्यापन संलग्न होना चाहिए, साक्षात्कार से कम से कम दस दिन पहले संस्थान के पास पहुंच जाना चाहिए, और ऐसा न होने की स्थिति में, आवेदक को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।
- छ) आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं, कार्य संबंधी अनुभव, शोध और प्रकाशन के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों की स्व—सत्यापित प्रतियों को संलग्न करना होगा, जिन्हें साक्षात्कार के समय सत्यापन के लिए मूल स्वरूप में प्रस्तुत करना होगा।
- ज) न्यूनतम योग्यताओं से संबंधित नियम और शर्तें और अन्य नियम और शर्तें समय—समय पर यूजीसी द्वारा विहित किए गए अनुसार होंगी। उपरोक्त के साथ साथ, निदेशक द्वारा संबंधित संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से परामर्श करने के बाद ऐसे अन्य विनिर्दिष्टियां या कोई अन्य शर्ते, जो भरे जाने वाले पद के लिए अपेक्षित होगी, को विहित किया जा सकता है।
- झ) यह तथ्य कि किसी उम्मीदवार द्वारा विहित न्यूनतम योग्यता और अनुभव धारण किया जाता है, से आवश्यक रूप से वह साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाएगा और संस्थान द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित स्क्रीनिंग सिमित की सिफारिशों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है, और यह सीमित संख्या, न्यूनतम विहित की गई योग्यता और अनुभव से उच्च योग्यता और अनुभव धारण करने वाले उम्मीदवारों या इसके द्वारा किसी अन्य शर्त के आधार पर यह संख्या हो सकती है।
- ञ) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को संस्थान द्वारा कोई टीए/डीए या स्थान परिवहन भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। एससी/एसटी श्रेणी के बाहरी उम्मीदवारों, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, उन्हें यात्रा के साक्ष्य के तौर पर टिकटों को दिखाने पर रिटर्न एकल द्वितीय श्रेणी रेल किराये का भुगतान उनके यात्रा व्ययों के लिए किया जाएगा।
- ट) स्वयं उम्मीदवार या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में की गई सिफारिश के परिणामस्वरूप उम्मीदवार को अयोग्य करार कर दिया जाएगा।

2 चयन समितिः

क) प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के पद पर और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियां समय—समय पर यूजीसी द्वारा विहित किए गए मानकों के अनुसार विधिवत रूप से गठित चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर की जाएंगी।

- ख) चयन समिति द्वारा समय–समय पर यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और आज तक की तारीख तक आरक्षित श्रेणियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा विहित नियमों और प्रक्रियाओं का कडाई से पालन किया जाएगा।
- ग) चयन सिमिति की बैठक को, कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित विशेषज्ञों के साथ पूर्व परामर्श और उनकी सुविधा के अनुसार तय किया जाएगा तथा निदेशक द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक नोटिस जारी किया जाएगा, जो बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व जारी किया जाना चाहिए, जिसमें बैठक के समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा।
- घ) अधिनियम/संविधि/ अध्यादेश में किसी विषय के संबंध में यदि कोई उल्लेख नहीं किया गया है तो निदेशक के पास प्रक्रिया को निर्धारित करने की शक्ति होगी। निदेशक को चयन समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा तथा बराबरी की स्थिति में निदेशक को निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।
- ङ) चयन समिति द्वारा प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए उम्मीदवार पर विचार करने के बाद, यदि उन्हें यह लगता है कि वह अगली निम्न पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार होगा, तो वह ऐसी सिफारिश कर सकती है।
- च) चयन समिति के पास उम्मीदवारों की नियुक्ति किसी भावी घटना के होने की शर्त के साथ करने की सिफारिश करने का अधिकार नहीं होगा।
- छ) चयन समिति की सिफारिशों को कार्यकारी परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा तथा कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के बाद नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे।
- ज) यदि एक ही तारीख को और एक ही चयन समिति द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों का चयन किया जाता है, तो चयन समिति को सेवा में वरिष्ठता के निर्धारण के उद्देश्य से चुने गए उम्मीदवारों की मैरिट के क्रम में वरिष्ठता को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
- झ) एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में विहित आयु, न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव आदि की छूट से संबंधित सांविधिक उपबन्धों का पालन किया जाएगा।
- ञ) यदि चयन समिति द्वारा किसी उम्मीदवार की नियुक्ति की सिफारिश योग्यता, आयु, अनुभव आदि से संबंधित विहित शर्तों में छूट देते हुए की गई है, तो चयन समिति की बैठक की कार्रवाईयों में ऐसा करने के कारणों को उचित ठहराते हुए, उन्हें विधिवत रूप से रिकार्ड किया जाएगा।
- ट) चयन सिमति द्वारा चुने गए उम्मीदवार के लिए अग्रिम/ अतिरिक्त वेतनवृद्धि(यों) की सिफारिश करते समय यूजीसी विनियमों में विहित किए गए अतिरिक्त / अग्रिम वेतनवृद्धि(यों) से संबंधित नियमों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा, जब चयन सिमित चुने गए उम्मीदवार के लिए उच्चतर प्रारम्भिक वेतन या अग्रिम वेतन वृद्धियों की सिफारिश करना उपयुक्त समझती है, तो चयन सिमित की बैठक की कार्रवाईयों में ऐसा करने के कारणों को उचित ठहराते हुए, उन्हें विधिवत रूप से रिकार्ड किया जाएगा।
- ठ) कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाने पर चयन समिति की सिफारिशें, इस प्रकार के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष तक के लिए मान्य होंगी।
- ड) इन अध्यादेशों में शामिल उपबन्धों के होने के बावजूद, कार्यकारी परिषद् के लिए ऐसे उपयुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति की ऑफर देने का अधिकार होगा जिन्होने आवेदन नहीं किया है।
- ढ) किसी विवाद या संस्थान के विरूद्ध किसी मुकदमे या कानूनी कार्रवाईयों के मामले में, न्यायाधिकार चेन्नई उच्च न्यायालय तक सीमित होगा, जो कि संस्थान का मुख्यालय है।

अध्याय – X स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने से संबंधित अध्यादेश

1. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेत् पात्रता:

एक उम्मीदवार को प्रवेश के समय एक मान्यता प्राप्त विश्वविध्याल से 10.23 पैटर्न में एक स्नातक डिग्री प्राप्त या इसके समतुल्य एक मान्यता प्राप्त डिग्री तथा समय—समय पर विश्वविध्यालय द्वारा निर्दिष्ठ संबन्धित विषय में कम से कम प्रवीणता स्नातकोत्तर कार्यक्रम की उपाधि में प्रवेश करने के लिए पात्रता होगी।

2. स्नातकोत्तर डिग्री के लिए विषय:

उम्मीदवार निम्न विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्ति के लिए प्रवेश ले सकते हैं:

- 1. एम.ए. सामाजिक नवाचार और उध्यमिता
- 2. एम.ए. स्थानीय शासन और विकास
- 3. एम.ए. लैंगिक अध्ययन
- 4. एम.ए. विकास नीति और अभ्यास
- 5. एम.ए. समाज कार्य (युवा एवं सामुदायिक विकास)
- 6. एम.एससी. परामर्श मनोविज्ञान

और एसे अन्य विषयों में, जिसे रा.गाँ.रा.यु.वि.सं. के विध्या परिषद के सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा निश्चित तथा संस्थान द्वारा अपने प्रोस्पेक्टस एवं अधिकारित वेबसाइट पर अधिसूचित करने पर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।

प्रवेश प्रक्रिया:

स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्ति के लिए प्रवेश पाने की प्रक्रिया, प्रवेश समिति अथवा विध्या परिषद द्वारा नियुक्त समिति द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाएगा।

संकाया सलाहकार

- 4.1 केन्द्र/विभाग, जिस माध्यम से छात्र प्रवेश चाहता है, संबन्धित विभाग के संकाय सदस्यों में से एक सलाहकार प्रत्येक वर्ष के छात्रों के लिए नियुक्त किया जाएगा। वह सलाहकार छात्रों को पाठ्यक्रम के पंजीकरण, पाठ्यक्रमों में बढ़ोत्रि/कटौती तथा कोर्स में ग्रेड कैसे प्रदान किए जाते हैं पर सलाह प्रदान करेंगें।
- 4.2 कोर्स का पंजीकरण छात्र की एकमात्र होगी। किसी छात्र को पंजीकरण के बिना एक कोर्स को करने के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए निर्धारित समय के भीतर औपचारिक रूप से पंजीकृत न होने पर कोई छात्र किसी भी क्रेडिट का हकदार नहीं होगा।
- 4.3 सेमेस्टर प्रारम्भ होने की सामान्य तिथि से 3 सप्ताह की अधिकतम अविध का समय, किसी छात्र द्वारा दिए गए औचित्य के आधार पर असाधारण मामलों में, देरी से पंजीकरण की अनुमित दी जा सकती है।
- 4.4 सेमेस्टर प्रारम्भ होने की तिथि से 3 सप्ताह की अवधि के पश्चात, किसी छात्र को किसी कोर्स में बढ़ोत्रि या एक कोर्स से दूसरे कोर्स में स्थानाप्पन करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। किसी कोर्स को ड्रॉप करने का इच्छुक एक छात्र जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और इस हेतु किसी भी मामले में सेमेस्टर प्रारम्भ होने की तिथि से छ: सप्ताह से अधिक समय की अनुमित नहीं दी जाएगी।

पाठ्यक्रम की अवधि:

5.1 रनातकोत्तर उपाधि प्रदान करने पर पाठ्यक्रम कार्य न्यूनतम चार सेमेस्टर में परिव्याप्त गया है।

परंतु, एक सेमेस्टर या एक वर्ष को, अधिनियम मे निर्धारित आवश्यकतावों की पूर्ति के आधार पर शून्य काल घोषित किया जा सकता है यदि एक छात्र उस अविध के दौरान बीमारी, अस्पताल में भर्ती, तकनीकी कारण जैसे वीजा समस्यों, पाठ्यक्रम के अनुक्रमण, विदेशी छात्रवृति /फैलोशिप को स्वीकारना बशर्ते ये अनुसंधान उन्नयन के लिए हों और किसी नियमित डिग्री या डिप्लोमा अर्जित करने के लिए नहीं। एसे छात्र के मामले में इस शून्य सेमेस्टर/वर्ष को कार्यक्रम की अविध में गणन नहीं किया जाएगा।

5.2 हर सेमेस्टर का प्रारम्भ और अंत विध्या परिषद द्वारा निर्धारित समय पर किया जाएगा। बशर्ते, प्रत्येक सेमेस्टर आमतौर पर परीक्षा दिनों को छोडकर 90 कार्य दिवसों का होगा।

क्रेडिट आवश्यकताएँ:

6.1 स्नातकोत्तर उपाधि के लिए वास्तविक क्रेडिट आवश्यकताएँ संबन्धित विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6.2 पूर्वापेक्षित पाठ्यक्रम के लिए नियत कोर्स को पहले से पूर्ण नहीं किए जाने पर एक छात्र को एक कोर्स में प्रवेश / प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. मुल्यांकन

- 7.1 प्रत्येक कोर्स के लिए मूल्यांकन की प्रणाली संबंधित विभाग की सिफारिश पर स्कूल के बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- 7.2 सेमेस्टर परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों के लिए सत्रीय कार्य उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना की सेमेस्टर परीक्षा।
- 7.3 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पैटर्न और सत्रीय कार्य की सूची संबंधित विभाग की सिफारिश पर स्कूल के बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा प्रत्येक छात्र को सेमेस्टर प्रारम्भ में सूचित किया जाएगा।
- 7.4 सेमेस्टर परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन, निर्धारित प्रपत्र में बनाया जाएगा तथा संबन्धित केंद्र के माध्यम से स्कूल के डीन को निम्नलिखित प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित किया जाएगा:
- i. सत्रीय कार्य में भागीदारीय
- ii.सभी बकाया राशि का भुगतान।

अध्ययन प्रणाली और पाठ्यक्रम निर्धारण:

- 8.1 संबन्धित केंद्र के सिफारिश पर अध्ययन प्रणाली, स्कूल के अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- 8.2 कोर्स के पाठ्यक्रम का अनुमोदन संबन्धित केंद्र द्वारा किया जाएगा जिसमे प्रत्येक कोर्स के लिए पाठ्यपुस्तक/पाठन सामाग्री का निर्धारण भी सम्मिलित होगा।

9. कार्यक्रम से एक छात्र के नाम का निष्कासन:

- 9.1 निम्नलिकित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले छात्रों के नाम विश्वविद्यालय की तालिका से स्वचालित रूप से निष्काषित किया जाएगा:
- 9.2 स्कूल का अध्ययन बोर्ड, विभाग की सिफारिश पर एक छात्र का नाम कार्यक्रम से निष्काषित कर सकता है, यदि:
- क. प्रथम सेमेस्टर के अंत तक एक छात्र जो निर्धारित कोर कोर्स में से कम से कम 50: पूर्ण न कर पाया हो ।
- ख. एक छात्र अध्ययन की शेष अविध में याध्यपि उसे अध्ययन की शेष अविध के सामान्य भार समेत 50% इस सामान्य भार के साथ पूर्ण करने के लिए पंजीकरण की अनुमित दी जाने पर भी असमर्थ हो।
- 10. इस अध्यादेश में किसी भी मामले के होते हुए भी, शैक्षणिक परिषद, असाधारण परिस्थितियों में और केंद्र/विभाग और स्कूल के अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर तथा साथ ही प्रत्येद व्यक्ति के मामले की योग्यता के आधार पर, अपने कार्य—स्वतन्त्रता से सीजीपीए/एफजीपीए में निर्धारित आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों में छूट प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं।
- 11. कोई उम्मीदवार यदि वह इस विश्वविध्यालय या अन्य कोई विश्वविध्यालय/संस्थान मे पूर्णकालिक कार्यक्रम के लिए पहले से ही पंजीकृत है वह इस कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

अध्याय – XI

अन्य विश्वविध्यालयों, संस्थानों एवं अन्य एजेंसियों सहित प्रबुद्ध निकायों या संघों के साथ सहयोग एवं संयुक्ति प्रक्रिया विषय से संबंधित अध्यादेश

- 1. राजीव गांधी राष्ट्रिय युवा विकास संस्थान के प्रथम परिनियम के परिनियम 8 खंड (xvi) में विध्या परिषद को देश के भीतर और विदेशों के अनुसंधान संस्थानों के साथ सहकार्यता, संयुक्त शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए सिफारिश करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- 2. रा.गाँ.रा.यु.वि.सं. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्व के उच्च शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों, उध्योगों एवं/या गैर सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्क और सहयोग कर सकता है।

- 3. एसे नेटवर्क और सहयोग का उद्देश्य, विध्या बढोत्री के अवसर, व्यावहारिक अनुभव, क्रौस कल्चर वार्ता और अपने संकायों, अनुसंधान स्कौलरों एवं छात्रों के लिए विचारों के आदान–प्रदान के लक्ष्य के साथ डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र कार्यक्रमों, आगे की शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार, परामर्श प्रदान करना रहेगा।
- 4. उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, रा.गाँ.रा.यु.वि.सं., अपने विध्या परिषद के सिफारिशनुसार तथा अपने कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्व के अन्य संस्थानों के साथ समझोता ज्ञापन हस्ताक्षर कर सकता है।
- 5. रा.गाँ.रा.यु.वि.सं. द्वारा अन्य संस्थानों के साथ कोई प्रस्ताव प्राप्त एवं/या समझोता ज्ञापन आरम्भ किया गया हो तो उसकी जांच निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा।
 - क. निदेशक, रा.गाँ.रा.यू.वि.सं., जो अध्यक्ष होगा
 - ख. निदेशक, रा.गाँ.रा.यू.वि.सं. द्वारा नामांकित दो संकाया सदस्य, जो आचार्य पद से नीचे का न हो,
 - ग. रा.गाँ.रा.यु.वि.सं. द्वारा नामांकित उक्त क्षेत्र से दो बाह्य विशेषज्ञ
 - घ. संबन्धित स्कूल के डीन / विभागाद्यक्ष
 - ङ वित्त अधिकारी
 - च. रजिस्ट्रार, जो सदस्य सचिव होगा
- 6. उपरोक्त समिति, रा.गाँ.रा.यु.वि.सं. के अधिकारों और दायित्वों से जुड़े सभी पहलुवों को ध्यान मे रख प्रस्तावों की जांच करेगी तथा कोई समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के लिए रा.गाँ.रा.यु.वि.सं. के हित में होने पर सिफारिश करेगी।
- 7. समझौता ज्ञापन के मसौदे के सहित समिति की सिफारिश को विध्या परिषद और रा.गाँ.रा.यु.वि.सं. के कार्यकारी परिषद के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- 8. सभी समझौता ज्ञापनों को एक निर्धारित समय प्रधान कर उसकी प्रगति/विस्तारण/जारी रखने के लिए आवधिक पुनरावलोकन की जाएगी।
- 9. इस अध्यादेश में किसी भी मामले के होते हुए भी, रा.गाँ.रा.यु.वि.सं. का विध्या परिषद, इस अध्यादेश के आरंभ होने से पूर्व रा.गाँ.रा.यु.वि.सं. द्वारा किसी भी संस्थान के सहयोग के साथ किए गए किसी भी संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों से संबंधित किसी भी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम रहेगा।

[सं. 15-22 / 2015-आर.जी.एन.आई.वाई.डी.]

गौरव अग्रवाल, निदेशक (युवा कार्यक्रम)

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Youth Affairs)

(RAJIV GANDHI NATIONAL INSTITUTE OF YOUTH DEVELOPMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2016

- **G.S.R. 573(E).**—In exercise of the power vested under clause (k) of Section 33 of the RGNIYD Act, Academic Council of the RGNIYD made the following Ordinance, namely:—
- 1. **Short Title and Commencement.**—(1) This Ordinance may be called the First Addendum to the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Ordinances, 2016.
- (2) They shall deemed to have come into force with effect from 23.03.2015.
- 2. Addition of New Ordinances to the Principal Ordinance

The following Chapters shall be added after Chapter V of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Ordinances, 2016

CHAPTER-VI

Matter Relating to Heads of Departments

1. Each Department of a School shall have a Head who shall be responsible for the conduct and maintenance of standards of teaching and research in the Department, who shall be under the general supervision of the Dean/Director.

2. In the case of a Department which has more than one Professor, the Head of the Department shall be appointed by the Director from amongst the Professors by rotation in order of seniority for a period of three years;

Provided that in the case of a Department where there is only one Professor whose term of Headship is due to end, the Director shall have the option to appoint, an Associate Professor as the Head of the Department from amongst the senior most Associate Professors by rotation for a period of three years. After the term of the Associate Professor is over the Professor would again be appointed as the Head and the rotation would continue:

Provided further that in a Department where there is no Professor or Associate Professor, an Assistant Professor on rotation by the order of seniority may be appointed as Head-in-charge for a period as decided by the Director:

- 3. Notwithstanding anything contained above a teacher shall cease to be the Head on attaining the age of superannuation.
- 4. Notwithstanding anything contained in clauses 6.1 and 6.2, the Executive Council on the recommendation of the Director may, at any time after the Head or Head-in-charge has entered upon her/his office, by order in writing, remove the Head or Head-in-charge from office on grounds of incapacity, misconduct or violation of statutory provisions.

Provided that no such order shall be made by the Executive Council unless the Head or Head-in-charge has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against her/him.

Provided also that the Executive Council may, at any time before making such order, place the Head or head-in charge under suspension, pending enquiry.

- 5. The Head of the Department shall have the following powers and functions:
 - i. to convene and preside over meetings of the Departmental Board;
 - ii. to organize the teaching and research work in the Department;
 - iii. to frame the time table in conformity with the allocation of the teaching work made by the Department;
 - iv. to maintain discipline in the class rooms and laboratories through teachers;
 - v. to assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department and/or assign work to, and exercise control over, the non-teaching staff in the Department; and
 - vi. to perform such other functions as may be assigned to her/him by the Institute.

CHAPTER-VII

Matter relating to Convocation for Conferring of Degrees

- 1. Convocation for the purpose of conferring degrees shall ordinarily be held once in a year on such date and place as may be fixed by the Director with the prior approval of the Chairperson. The term 'Degree' shall include any Certificate / Diploma conferred by the Institute.
- 2. A Special Convocation for the purpose of conferring honorary degrees may also be held at such time as may be decided by the Executive Council.
- 3. The Convocation shall consist of the body corporate of the Institute.
- 4. The Chairperson shall, preside at the Convocation of the University for conferring degrees. In the absence of the Chairperson, the Director shall preside at the Convocation.
- 5. Not less than four weeks' public notice shall be given by the Registrar for the Convocation.
- 6. The Registrar shall issue to each member of the Convocation a programme of the procedure to be observed thereat.
- 7. The candidates who have passed their examinations in the years since the last Convocation shall be eligible to be admitted to the Convocation.
- 8. Such candidates who are unable to present themselves in person at Convocation shall be admitted to the degree *in absentia* by the Chairperson or in his absence by the Director, and their degrees shall be given by the Registrar on application and payment of the prescribed Convocation Fee.
- 9. Provided that in case the Convocation is not held in a particular year, the Director shall be competent to issue degrees, wherever considered essential, without waiting for the formal Convocation, on payment of prescribed Convocation Fee.

- 10. Applications for Convocation along with the prescribed Convocation Fee should be compulsorily collected by the Examination Wing along with the Examination fees for the final semester examination. Hall tickets for the final semester examination will not be issued to those students who do not submit applications for Convocation along with the prescribed Convocation Fee.
- 11. The candidates who wish to receive the degrees in person should intimate the Registrar in writing at least 7 days before the date of the Convocation.
- 12. The candidates at the Convocation shall adhere to the prescribed dress code. No candidate shall be admitted to the Convocation who is not in the prescribed academic dress.
- 13. The following design of Robes shall be worn in the Robing room by the various dignitaries and students.

Chairperson	Purple colour Handloom / Khadi shawl
Director	Violet colour Handloom / Khadi shawl
Chief Guest	Dark Red colour Handloom / Khadi shawl
Other Guests of Honour	Maroon colour Robe Handloom / Khadi shawl
Registrar, Controller of Examination	Blue colour Handloom / Khadi shawl
Members of University Authorities like Executive Council, Finance Committee, Academic Council etc.	Yellow colour Handloom / Khadi shawl
Students	Green colour Handloom / Khadi shawl

14. After the 18ecogni, there shall be Group photograph of all the members of the Academic Procession with the Chief Guest.

The order of the Academic Procession shall be as follows:

Registrar

Controller of Examinations

Deans of Schools / Heads of Departments

The various Guests of Honour (in the ascending order of protocol)

The Chief Guest

Director

- 15. The Academic Procession will commence from the place of the Group Photograph. Only those members of the procession who are to sit on the dais as per the approved seating plan will go on to the dais; the rest will take their seats in the first row of the Hall.
- 16. When the procession enters the Hall, the candidates and other invitees shall rise and remain standing until all those on the dais have taken their seats.
- 17. After the University / National Anthem, the Director shall declare the Convocation open by saying:

"This Convocation of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur has been called to confer the Degrees upon the candidates who have been certified to be worthy of the same."

18. The Chairperson shall then say:

"I invite the Director to deliver the welcome address and present the report on the academic achievements of the Institute during the period relating to the Convocation."

The Director shall make a brief welcome address and present the report.

19. The Chairperson shall then say:

"Let the Candidates be now presented."

The Director shall be the common Presenter for all the Departments

(a) The Director shall say:

"Mr. Chairperson, I present to you the candidates who are to be awarded Postgraduate degrees in person in Programmes Youth Empowerment, Career Counselling, Gender Studies, Local Governance, Life Skills Education, Development Practice" (and such other Schools as may be introduced from time to time).

The candidates belonging to each of these Programmes shall stand up as soon as the Director reads out the name of their Programmes and shall keep standing.

The Chairperson shall say:

"I assent to the award of Degrees to these candidates in person".

The graduates shall now sit down.

(b) The Director shall say:

"Mr. Chairperson, I present to you the candidates who are to be awarded Postgraduate degrees <u>in absentia</u> in Programmes Youth Empowerment, Career Counselling, Gender Studies, Local Governance, Life Skills Education, Development Practice" (and such other Programmes as may be introduced from time to time).

The Chairperson shall say:

"I assent to the award of Postgraduate degrees to these candidates in absentia."

The Chairperson shall sign the Register of Graduates.

- 20. In the absence of the Chairperson, the Director shall declare the Convocation open, and assent to the award of the degrees to the candidates *in person and in absentia*, and sign the Register of Graduates while the Registrar shall be the common Presenter.
- 21. The Chief Guest shall then deliver the Convocation Oration.
- 22. After the National Anthem, the Academic Procession shall return to the Robing room *in reverse order* to that in which it entered the Convocation Hall.
- 23. Honorary degree shall be conferred only at a Convocation and may be taken in person or in absentia.
- 24. The presentation of the persons at the Convocation on whom Honorary degrees are to be conferred shall be made by the Director and the Chairperson shall award the same. In the absence of the Chairperson, the Registrar shall be the presenter and the Director shall award the honorary degrees".
- 25. Withdrawal of degrees, diplomas, certificates, etc.

The Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw any degree or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the University for good and sufficient cause.

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon her/him to show cause within such time as may be specified in the notice why such a resolution should not be passed and until her/his objections, if any, and any evidence she/he may produce in support of them have been considered by the Executive Council.

CHAPTER-VIII

Terms and Conditions of Service and Code of Conduct for Teachers and Academic Staff of RGNIYD

1. Definition of Teachers:

- a. Teachers of the Institute mean Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting researches in the Institute or in any Institution maintained by the Institute and are designated as teachers by the Ordinances. They shall possess the qualifications prescribed by the UGC from time to time.
- b. A teacher of the Institute shall be a whole-time salaried employee of the Institute and shall devote his / her whole-time to the Institute and does not include honorary, visiting, part-time and ad-hoc teachers.
- c. No teacher of the Institute shall without the permission of the Executive Council engage directly or indirectly in any trade or business whatsoever or any private tuition or other work to which any emolument or honorarium is attached.

- (i) Provided that teachers may be permitted to undertake such assignment as examination work of Universities or learned bodies or Public Service Commissions or any literary work or publication or radio / television talk or extension lectures or, any other academic work with the permission of the Director.
- (ii) Provided further that teachers shall be encouraged to actively engage in research, publication, consultancy and management / executive development programmes as per UGC guidelines and with prior approval of the Institute.

2. Nature of Duties:

- a) The work load of teachers in term of contact hours, presence on the campus and other activities relating to teaching, research, examination, evaluation, curricular development self-study and preparation for lectures shall be as per the norms prescribed by the University Grants Commission.
- b) Organisation of teaching, teaching of courses of studies assigned and other work related to the effective teaching such as development, revision of curricula & syllabi, laboratory & field work, tutorials, work related to examination and evaluation of students, maintenance of discipline in the classroom, general welfare of students etc shall be the primary duties of the teachers.
- c) In addition to the teaching of assigned courses of studies, teachers shall be expected to actively engage in research, publications, patent development, promotion of academic culture etc in true spirit of the best intellectual traditions.
- d) Teachers shall be bound by the decision of the department, the Board of Studies, School Board, the Academic Council and the Executive Council of the Institute and shall act and work under the general direction and supervision of the Head of the Department and Dean of the School concerned.
- e) Every teacher shall undertake to take part in such activities of the Institute and perform such duties in the Institute as may be required of him/her in accordance with the letter and spirit of the Act, the Statutes and Ordinances as made from time to time and as in force.
- f) Every teacher is appointed as a teacher in the Institute and his/her present placement in a particular School / Department / Centre is in accordance with the current needs and requirements of the Institute. The Institute reserves the right to establish, abolish, merge, reorganize and rename its Schools / Departments / Centres as warranted by the changing needs, requirements and circumstances and that the placement/place of posting of teacher may be changed accordingly at any time in the best interest of the Institute.

3. Probation:

Teachers shall be appointed on probation ordinarily for a period of twelve months, but in no case the total period of probation shall exceed 24 months.

4. Confirmation:

- a) The confirmation of a teacher on probation shall be placed before the Executive Council not later than forty days before the end of the period of probation.
- b) The Executive Council shall have the power to confirm the teacher or decide not to confirm him, or extend the period of probation by a maximum of twenty-four months in all,

Provided that the decision not to confirm a teacher shall require a two-third majority of the members of the Executive Council present and voting.

c) In case the Executive Council decides not to confirm a teacher, whether before the end of twenty-four months' period of his / her probation, or before the end of the extended period of probation, as the case may be, the teacher shall be informed in writing to that effect, not later than thirty days before the expiration of that period.

5. Increment:

Every teacher shall be entitled to increment in his/her scale of pay, as per rules, unless the same has been withheld or deferred or postponed by a resolution of the Executive Council,

Provided that a teacher whose increment is proposed to be withheld / deferred / postponed shall be given due opportunity to make his/her written representation.

6. Promotion through Career Advancement:

The promotion through Career Advancement of Assistant Professors / Associate Professors / Professor in the Institute shall be governed by the Norms / Regulations prescribed by the University Grants Commission in vogue and as amended from time to time.

7. Professional Code of Conduct:

a) Every teacher shall be bound by the Act, the Statutes, the Ordinances, the Rules & Regulations and Code of Conduct as formulated by the Institute from time to time.

Provided that no change in the terms and conditions of service of a teacher shall be made after his/her appointment in regard to designation, scale of pay, increment, provident fund, retirement benefits, age of retirement, probation, confirmation, leave; leave salary and removal from service so as to adversely affect him/her.

- b) Every teacher of the Institute shall abide by the Code of Conduct framed by the Institute from time to time. As a matter of general rules, the following lapses would amount to and constitute misconduct on the part of a Institute teacher:-
 - Refusal, words or actions, to teach courses of studies, supervise research and/or other administrative and co-curricular activities assigned to him/her by the Department, the Board of Studies, the Dean of the School, the School Board and the Director.
- ii) Lapses or negligence or carelessness in performing or carrying out the responsibilities as defined or as assigned to him/her from time to time by the Institute.
- iii) Refusal to carry out the decisions of the Institute authorities, academic bodies and/or functionaries of the Institute.
- iv) Non-adherence to the highest standards of personal and professional ethics and/or indulging in plagiarism of any kind and sort, within the legal meaning, interpretation and expression of the term.
- c) direct and tacit involvement in activities leading to:
 - i) disturbance of peace and harmonious community life on the campus including involvement and abetment in inciting students, staff and outsiders against other students, colleagues, administration and campus.
 - ii) spread of communal feeling, hatred, campus violence including making derogatory remarks on caste, creed, colour, religion, race or gender.
- iii) in any activities, actions and deed adversely affecting or impinging upon the interest of the Institute.
- d) Nothing contained in these ordinances shall, however, interfere with the right of a teacher to express his/her views and difference of opinion on matters of principles in public forum, seminars, conferences, workshops and/or in his /her speech and writing.

8. Resignation:

- a) A permanent teacher may, at any time, terminate his/her contract by giving the Institute three months' notice in writing or on payment to the Institute of three months' salary in lieu thereof.
- b) The notice period shall be one month in case of probationers, contractual, temporary and ad-hoc teachers or salary in lieu thereof.

Provided that the Executive Council may waive the requirement of notice at its discretion.

9. Written Contract:

Every teacher of the Institute shall be required to enter into a Written Contract with the Institute in the form as prescribed in **Annexure I** of this Ordinance and as amended from time to time.

10. Fixation of Pay of Re-employed pensioners:

As per the Government of India Rules issued from time to time.

11. Seniority of Teaching Staff:

- a) It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each category of employees to whom the provisions of this Ordinance apply, a complete and up to date seniority list in accordance with the provisions of this Ordinance.
- b) Seniority of teachers shall be determined in accordance with the UGC norms. However, while determining the seniority of teachers the following principles shall be observed:-
- i) Seniority in each grade shall be determined in accordance with the length of continuous service from the date of appointment of the person in his/her grade in the Institute.
- ii) If a teacher of the Institute is selected by a duly Selection Committee for an appointment to a post in the same grade in another Department / Centre / School of the Institute, his/her seniority in the Institute will be reckoned from the date of his/her original appointment to the post in the same grade in the Institute.

- iii) In case two or more teachers are recommended for appointment by the same selection committee held on the same date, the Selection Committee shall have powers to specify their seniority with due regards to the merit of the selected candidates and that the same shall be used for the purpose of determining seniority in service.
- iv) Seniority of the teachers appointed / promoted under the Career Advancement Scheme shall be determined in accordance with the UGC guidelines / regulations / norms in this regard. If a teacher is promoted to the next higher grade / post under the Career Advancement Scheme, his/her seniority in the higher grade / post shall be reckoned from the date of eligibility for promotion to the next grade / post. However, if a candidate is denied promotion, his/her seniority shall be reckoned from the date of the next eligibility.
- v) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade or post or the relative seniority of any person(s) is otherwise in doubt or in question, the Registrar may, on his own motion or at the request of any person, submit the matter to the Executive Council whose decision thereon shall be final.
- vi) Seniority among the Deans of Schools, Heads of the Departments shall be determined with effect from the date of their appointment to such position.

12. Re-employment of Teachers:

The Executive Council may, in the interest of the Institute, re-employ a distinguished superannuated Institute teacher, who has contributed substantially to the field of knowledge and learning in accordance with the following procedure:-

- a) A Institute teacher retiring on superannuation shall intimate his/her willingness for re-employment to the Director at least six months before the date of his/her superannuation through proper channel.
- b) The Head of the Department/Institution and the Dean concerned shall forward the same to the Director with their specific recommendations.
- c) In the case of the Head of the Department seeking re-employment, the Dean of the School shall forward his/her application with his specific remarks to the Director.
- d) If the Dean of the School himself/herself is seeking re-employment, he/she shall submit his/her application to the Director directly.
- e) The application for re-employment shall be supported by the following documents:-
- (i) Complete bio-data of the retiring teacher with special emphasis on the academic and other achievements made during the last five years. The bio-data shall include details regarding teaching and research experience, publications, attendance/presentations at conferences, workshops, seminars, symposia etc.
- (ii) Medical certificate of fitness from the 22 Recognized Health Centres / Hospitals. (The Institute reserves the right to get it verified by the Institute Medical Officer).
- f) On receipt of the application / proposal and complete bio-data from the Institute teacher willing to work on reemployment, the Director shall, in consultation with the Head of the Department or with any other expert in the field / subject of the applicant teacher, form his/her opinion and views about the re-employment of such a teacher and place the same in the form of a proposal before the Executive Council for consideration.
- g) No teacher can claim re-employment as a matter of right.
 - h) The re-employment of a Institute teacher would be subject to the over-all age limit as prescribed by the UGC beyond which there would be no provision for extension.
 - i) The re-employment shall be treated as a fresh temporary appointment.
- j) The Executive Council at its discretion may terminate the services of a re-employed Institute teacher by giving him/her one month's notice in writing.
- k) A re-employed Institute teacher shall not be eligible for appointment as Head of the Department or Dean of a School nor can be a member of an authority of the Institute nor shall be given any other administrative responsibility.
- 1) The salary and other benefits admissible to a Institute teacher shall be in accordance with the Rules prescribed by the Institute from time to time.

13. Professor Emeritus:

a) Executive Council may, confer the title of "Professor Emeritus" on a Professor of the Institute, who has retired from this Institute after a total service of at least fifteen years as a Professor in this Institute or any other University, including at least seven years' service as Professor in this Institute.

- b) The Director may recommend to the Academic Council the conferment of the title of "Professor of Emeritus" and on the recommendations of the Academic Council, the Executive Council may confer the title. (Note:-The proposal for appointment of Professor of Emeritus is to be carried unanimously at all levels.)
- c) The title of "Professor Emeritus" will be conferred only on scholars, who have made outstanding contribution to their subject by their published research work and teaching.
- d) A "Professor Emeritus" may pursue academic work within the framework of the Department / Centre to which he/she is attached and shall not be entitled to any special facilities like a personal office or an independent laboratory nor will he/she be a member of any Committee of the Department or of the Institute.
- e) Emeritus Professorship will carry with it no financial commitment for the Institute or responsibility for providing residential accommodation.
- f) The conferment of the title of "Professor Emeritus" will be for life.

14. Honorary Professor:

- a) The Executive Council may appoint any outstanding scholar or eminent person resident, whose association with the Institute would help in furtherance of the academic activities of the Institute as an Honorary Professor for a period of two years. This period may, however, be extended for a period of only one year.
- b) The Head of the Department concerned in consultation with his/her colleagues in the Department, may propose to the Director the appointment of a person as Honorary Professor and the Director may, after satisfying himself /herself recommend the appointment to the Academic Council and the appointment will be made by the Executive Council on the recommendation of the Academic Council.
- c) No person shall be appointed or continued as Honorary Professor on his/her attaining the maximum age of superannuation as prescribed by the UGC.
- d) An Honorary Professor shall be expected to be associated with the normal academic activities of the Department to which he/she is attached but shall not be a member of any committee of the Institute except that of the Board of Studies of the Department concerned.
- e) An Honorary Professorship will carry with it no financial commitment for the Institute or responsibility for providing residential accommodation.

15. Visiting Professor:

- a) Distinguished persons, having special competence in one or other of the fields of study covered by the Institute, may, with the approval of the Executive Council, be invited by the Director to function as Visiting Professors in the Institute. These Visiting Professors can be drawn either from within India or abroad.
- b) Such Visiting Professors shall, according to arrangements entered into in each individual case, teach a course of study, deliver a Lectures or take Seminars or supervise research scholars assigned to him/her or participate in such other manner as may be deemed appropriate.
- c) Persons invited as Visiting Professors may be paid such salary, honorarium, travelling expenses, hospitality, etc. as may be decided in each case by the Director.
- d) A Visiting Professor shall be expected to be associated with the normal academic activities of the Department to which he/she is attached but shall not be a member of any committee of the Institute except that of the Board of Studies of the Department concerned.
- e) To the extent possible, the Institute will make arrangements for accommodating such visiting professors within the campus so that fruitful contacts could be established between them and the teachers and students of the Institute.
- f) Subject to the above, the Director will determine, at his discretion, such other terms and conditions including the duration of appointment as may be deemed necessary in the case of any visiting Professor.

16. Adjunct Professor:

- a) Distinguished persons, from within the country and/or abroad, having special competence in one or other of the fields of study covered by the Institute, may, with the approval of the Executive Council, be invited by the Director to associate with the Institute as Adjunct Professors.
- b) Such Adjunct Professors shall, according to arrangements entered into in each individual case, teach a course, deliver Lectures or take Seminars or supervise research scholars assigned to him/her or participate in such other manner as may be deemed appropriate.
- c) Persons invited as Adjunct Professors may be paid such honorarium, travelling expenses, hospitality, etc. as may be decided in each case by the Director.

- d) An Adjunct Professor shall be expected to be associated with the normal academic activities of the Department to which he/she is attached but shall not be a member of any committee of the Institute except that of the Board of Studies of the Department concerned.
- Subject to the above, the Director will determine, at his discretion, such other terms and conditions including the duration of association as may be deemed necessary.

ANNEXURE-I

(Ref. para 9 of Chapter VIII)

FORM OF WRITTEN CONTRACT TO BE SIGNED BY TEACHER AND MEMBER OF THE ACADEMIC **STAFF**

WRITTEN CONTRACT OF APPOINTMENT

Every teacher and member of the academic staff of the Institute shall be appointed on a written contract, the form of which is hereby prescribed and appended to this ordinance. TO BE TYPED ON 10/- NON-JUDICIAL STAMP PAPER & SUBMIT ONE ORIGINAL AND TWO COPIES THEREOF.

SERVICE CONTRACT		
ARTICLES OF AGREEMENT EXECUTED this / her the day of the year Two Thousand the Year of the Republic of India between s/O/D/O/W/O aged years, residing at of the first part (hereinafter called 'the party of the first part') and the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development of the second part.		
WHEREAS the Institute have engaged the party of the first part as (Designation) in the School of		
1. The party of the first part shall submit to the orders of the Institute and of the authorities under whom he may from time to time, be placed by the Institute and shall remain in the service commencing from the date of joining duty (Date) subject to the terms and conditions herein contained.		
2. The party of the first part shall devote his/her whole time and attention efficiently and diligently to his/her duties and at all time obey the rules including the Institute Servants Conduct Rules prescribed for the time being for the regulations of the branch of the Institute to which he may be attached and shall whenever required to perform such duties as may be assigned to him/her from time to time.		
3. The party of the first part shall be of the Teacher's / Officer's rank and his / her status shall be that of (designation) in the School of (School) and presently placed in the(Department / Centre / Office).		
4. The party of the first part understands and agrees that his/her present placement in a particular School / Department / Centre is in accordance with the current needs and requirements of the Institute and that the Institute reserves the right to establish, abolish, merge, reorganize and rename its schools, departments and centres as changing needs, requirements and circumstances may warrant and that the party of the first part shall willingly accept and have no objection to any change in his/her placement to any School / Department / Centre of the Institute.		
5. The party of the first part shall, from the date of coming into force of these, be granted (Basic Pay including the grade pay of `) in the pay scale of ` He shall also be eligible for the usual allowance admissible under the rules of the		
Institute / Govt. of India in force.		
6. The party of the first shall, during the period of this / her agreement earns leave according to the rules applicable to him/her.		
7. If the party of the first part is required to travel in the interest of the Institute Service; he/she shall be entitled to travelling allowance on the scale applicable to the Officers of his/her/her equal rank in the Institute.		

- tı
- His/her agreement may be terminated at any time within the said period of the age of superannuation / by either party, by giving three months' notice in writing to the other. Provided always that either party may in lieu of the notice, give to the other party a sum equal to the salary of the period which may fall short of three months.
- The party of the first part shall be eligible to the benefit of the New Pension Scheme according to the rules applicable.
- In regard to any matter in respect of which no provision has been made in this agreement, the provision of the rules made or deemed to have been made under Article 309 B & 313 of the Constitution of India, the provisions of any

Act or Rule made by the Institute in regard to the employees service shall apply to the extent to which they are applica agreement and the decision of the Institute as their applicabil	able to the service of the party of the first part under this	
IN WITNESS WHEREOF	direction of the Executive Council, have hereunto set their	
SIGNED BY THE PARTY OF THE FIRST PART:		
IN THE PRESENCE OF:		
Witness: 1)		
Witness: 2)		
CHAPTER- IX		

PROCEDURE / NORMS TO BE FOLLOWED BY THE SELECTION COMMITTEE FOR APPOINTMENT TO THE POSTS OF PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR, ASSISTANT PROFESSOR AND OTHER ACADEMIC STAFF

1 Mode of Appointment:

- In order to attract the most talented candidates, the Institute shall have the policy of rolling advertisements whereby eligible candidates can submit their applications for different faculty positions throughout the year, and all applications received at least 30 days' before the meeting of the Screening Committee shall be considered for being called for the interview.
- b) In order to provide equal opportunity to all, the Institute will also advertise all vacancies on all-India basis in leading national dailies giving at least 30 days' time to all eligible candidates to apply.
- The number of positions advertised by the Institute may be treated as tentative and that the Institute shall have the right to increase/reduce the number of positions at the time of selection and make appointments accordingly.
- d) The prescribed application forms for various positions shall be available at request, for a nominal price, as prescribed by the Executive Council of the Institute from time to time. However, the prescribed application forms may be downloaded from the Institute website free of cost.
- e) Applicants shall be required to pay a nominal application processing fees, as prescribed by the Executive Council of the Institute from time to time, in the manner prescribed in the advertisement notification. The applicants belonging to the SC/ST/PWD shall, however, be exempted from the payment of application fees.
- Applicants already in the service / employment shall be required to apply through Proper Channel. They may, however, submit an advance copy of their application. However, the duly forwarded application form along with the No Objection Certificate (NOC) and Verification of the Employer must, however, reach the Institute at least ten days prior to the date of interview, failing which the applicant may not be called for interview.
- g) Applicants shall be required to attach self-attested copies of all the relevant documents in support of their educational qualifications, work experience, research and publications, which they shall be required to produce in original for verification at the time of interview.
- h) The terms and conditions with regard to the minimum qualifications and other terms and conditions shall be as prescribed by the UGC from time to time. In addition to the above, the Director may prescribe, in consultation with the concerned Dean and Head of the Department, to the Academic Council such specification or any other condition as required for the post to be filled up.
- The fact that a candidate possesses the minimum prescribed qualification and experience, shall not necessarily entitle him/her to be called for interview and that the Institute shall have the right to restrict the number of candidates to be called for interview, based on the recommendations of the Screening Committee constituted as per the Regulations for this purpose, to a reasonable number on the basis of qualifications and experience higher than the minimum prescribed or by any other condition that it may deem fit.
- j) No TA/DA and/or local conveyance shall be paid by the Institute to the candidates called for interview. Outstation candidates belonging to SC/ST categories called for interview shall, however, be paid equivalent to the return single second class railway fare towards their travel expenses on production of Tickets as a proof of
- k) Canvassing in any form either by the candidates himself/herself or by any one on behalf of the candidate will disqualify the candidate.

2 Selection Committee:

- a) Appointments to the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other Academic Staff shall be made on all India basis on the recommendations of the Selection Committee duly constituted in accordance with the provision contained in the relevant Statute of the RGNIYD.
- b) The Selection Committee shall follow the procedure laid down by the UGC from time to time and that the rules and procedures prescribed by the Government of India in respect of the reserved categories as amended up to date, shall be strictly adhered to.
- c) Meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of the experts nominated by the Executive Council and that the Director shall issue, to each member a Notice, not less than ten days before the meeting, stating the time and venue of the meeting.
- d) The Director shall have the power to lay-down the procedure in respect of any matter not mentioned in the Act / Statute / Ordinance. The Director shall be entitled to vote at the Selection Committee meeting and shall have a casting vote in the case of a tie.
- e) The Selection Committee, after considering a candidate for the post of Professor or Associate Professor, may, if it is of the opinion that he or she will be suitable choice for the next lower post, can make such recommendation.
- f) The Selection Committee shall have no power to recommend candidates for appointment with condition(s) attached to the occurrence of the future events.
- g) The recommendations of the Selection Committee shall be submitted to the Executive Council and orders of appointment shall be issued after the approval of the Executive Council.
- h) In case two or more persons are selected on the same date and by the same selection committee, the selection committee shall have the right to specify the seniority in order of merit of the selected candidates for the purpose of determining seniority in service.
- i) The statutory provision relating to the relaxation in age, minimum qualification, experience etc. as prescribed in case of the candidates belonging to SC/ST/OBC/PWD categories shall be adhered to.
- j) If any candidate is recommended by the Selection Committee for appointment in relaxation of any of the prescribed conditions relating to qualifications, age, experience etc., the reasons justifying the same shall have to be duly recorded in the proceedings of the Selection Committee.
- k) The Selection Committee's recommendations, when approved by the Executive Council, shall remain valid for a period of one year from the date of such approval.
- 1) Notwithstanding the provisions contained in these ordinances, it would be open to the Executive Council to offer appointment to suitable persons who may not have applied.
- m) In cases of any disputes any suites or legal proceedings against the Institute, the jurisdiction shall be restricted to the High Court in Chennai, which is the Headquarter of the Institute.

CHAPTER-X

Matters relating to the award of Master's Degree

1. Eligibility for Admission to the Course:

A candidate shall be eligible for admission to the programme leading to the award of Master's degree if he/she has obtained a Bachelor's degree under 10+2+3 pattern recognized by the University or a degree recognized as its equivalent and provided further that he/she has attained minimum proficiency in the subject concerned at the time of admission as decided by the University from time to time.

2. Disciplines for Master's Degree:

Candidates may seek admission to Programs of Studies leading to the award of Master's Degree in any of the following Disciplines:

- 1. M.A. Social Innovation & Entrepreneurship
- 2. M.A. Local Governance and Development
- 3. M.A. Gender Studies
- 4. M.A. Development Policy and Practice
- 5. M.A. Social Work(Youth &Community Development)
- 6. M.Sc. Counselling Psychology

And in such other disciplines, as may be decided by the EC of RGNIYD on the recommendations of the Academic Council of the RGNIYD of and notified by the Institute in the Prospectus and on its Official website.

3. Admission Procedure:

Procedure for admission to the programme leading to the award of Master's degree shall be laid down from time to time by the Admission Committee or Committee appointed by the Academic Council.

4. Faculty Advisor

- 4.1 The Centre/ Department, through which a student seeks admission, shall appoint an Adviser for students of each year from amongst the members of the faculty concerned. The Adviser shall advise the student about the registration of courses, adding/dropping of courses and how the grades awarded in the courses.
- 4.2 Registration of courses is the sole responsibility of a student. No student shall be allowed to do a course without registration and no student shall be entitled to any credits in the course unless he/she has been formally registered for the course by the scheduled date to be announced by the University.
- 4.3 Late registration may be allowed to a student, in exceptional cases subject to the justification given by him/her, beyond the normal date of registration up to a maximum period of 3 weeks from the date of commencement of semester.
- 4.4 No student shall be allowed to add a course or substitute a course for another course later than three weeks from the date of commencement of the semester. A student wishing to drop a course must do so as early as possible in no case later than six weeks from the date of commencement of the semester.

5. Duration of the course:

5.1 The curricular work leading to the award of Master's Degree shall be spread over a minimum of four semesters.

Provided that a semester or a year may be declared zero semester or zero year in the case of a student if he/she could not continue with the academic programme during that period due to illness and hospitalization, technical grounds like visa problems, sequencing of courses, accepting a foreign scholarship/fellowship provided it is meant for upgrading research skill and not for earning a regular degree or diploma, subject to the fulfilment of requirements as laid down by the Regulations. Such zero semester/year shall not be counted for calculation of the duration of the programme in case of such a student.

5.2 Each semester shall commence from and end on a date to be fixed by Academic Council.

Provided that each semester will ordinarily have 90 working days excluding the examination days.

6. Credit requirements:

- 6.1 The actual credits requirement for Master's Degree shall be prescribed by the Department concerned.
- 6.2 A student shall not be permitted to offer a course if he/she has not previously cleared a course(s) prescribed as a pre-requisite for the former.

7. Evaluation

- 7.1 The system of evaluation for each course shall be laid down by the Board of the School on the recommendation of the Department concerned.
- 7.2 For courses having a semester examination, sessional work shall carry the same weightage as the semester examination.
- 7.3 The pattern and schedule of sessional work for each course of a semester shall be prescribed by the Board of the School, on the recommendation of the Department concerned and shall be made known to the students at the commencement of each semester.
- 7.4 An application for admission to the semester examination shall be made in the prescribed form and forwarded to the Dean of the School through the Head of the Centre concerned and shall be accompanied by the following certificates:
- i) Participation in sessional work;
- ii) Clearance of all dues.

8 Courses of Study and Framing of the Syllabi:

- 8.1 The Courses of study shall be approved by the Board of Studies of the School, on the recommendations of the Centre concerned.
- 8.2 The Syllabi for the courses shall be approved by the Centre concerned which shall also prescribe text books/reading material for each course.

9 Removal of the Name of a Student from the Programme:

9.1 The names of students falling under following categories shall automatically stand removed from the rolls of the University:

- 9.2 The Board of Studies of the School, on the recommendations of the Department, may remove the name of a student from a programme of study if:
- (a) A student who fails to clear at least 50% of the prescribed core courses at the end of the 1st semester.
- (b) A student has still to clear courses which cannot possibly be cleared in the remaining period of study even if he/she is allowed to register for the normal load for the remaining period plus 50% of this normal load.
- 10. Notwithstanding what is contained in the Ordinance, the Academic Council may, in exceptional circumstances and on the recommendations of the Centre/Department and Board of Studies of the School as well as on the merits of each individual case, consider at its discretion and for reasons to be recorded relaxation of any of the provisions except those prescribing CGPA/FGPA requirements.
- 11. No Candidate shall be eligible to register for the programme if he/she is already registered for any full-time programme of study in this University or any other University/Institution.

CHAPTER-XI

Procedure for co-operation and collaboration with other Universities, Institutions and other Agencies including learned bodies or Associations

- 1. Clause (xvi) of Statue 8 of the First Statutes of the RGNIYD empowers its Academic Council to recommend collaborations, joint education and research programmes academic or research institutions within the country and abroad.
- 2. RGNIYD may network and collaborate with Institutions of higher education, research institutions, industry, and/or NGOs of National and International repute.
- 3. The objective of such networking and collaboration shall be to offer degree, diploma and certificate programmes, further teaching, research, extension, consultancy aimed at providing opportunities of enhanced learning, hands on experience, cross-cultural dialogue and exchange of ideas for its faculty, research scholars and students.
- 4. Keeping in view the above stated objective, RGNIYD, on the recommendation of its Academic Council and with the approval of its Executive Council, may enter into Memorandum of Understanding (MoU) with other institutions of national and international repute.
- 5. Any proposal received and/or initiated by the RGNIYD to enter into a MoU with other institutions shall be examined by a Committee comprising the following:
- a. The Director, RGNIYD, who shall be the Chairperson,
- b. Two faculty members not below the rank of Professor, to be nominated by the Director, RGNIYD
- c. Two external Experts from the relevant sector to be nominated by the Director
- d. The Deans of the Schools / Head of the Departments concerned
- e. The Finance Officer
- f. The Registrar, who shall be the Member Secretary
- 6. The Committee, referred to as above, shall examine the proposal taking into consideration all aspects involving rights and obligations of the RGNIYD and will make a recommendation as to whether it is in the interest of the RGNIYD to enter into the MoU.
- 7. Recommendations of the Committee together with the draft of the MoU shall be placed for the consideration and approval of the Academic Council and Executive Council of the RGNIYD.
- 8. All MoUs are to be for a specified time period and shall be reviewed periodically for progress /extension/ continuation
- 9. Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the Academic Council of the RGNIYD shall be competent to take decision on any matter relating to any joint academic programmes introduced before the commencement of this Ordinance by the RGNIYD, in collaboration with any institution.

[No. 15-22/2015-RGNIYD]

GAURAV AGARWAL, Director (YOUTH AFFAIRS)